



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(निर्णय दिनांक 01/03/2023)

एफ.ए. नं. 520 / 2018

मिश्रीलाल वल्द लुंकरन बाफना, उम्र लगभग 62 वर्ष,
निवासी गंज लाइन, माजर के सामने, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

.....अपीलार्थी

बनाम

1. मोहनलाल वल्द लुंकरन बाफना, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी गातापारकला, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
2. (लुंकरन को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14-01-2022 के अनुसार हटाया गया)
3. राजेंद्र वल्द लुंकरन बाफना, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
4. भूरमल वल्द लुंकरन बाफना, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वासनिक भवन, भारका पारा, भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पीछे, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. ध्यानचंद वल्द लुंकरन बाफना, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी गातापारकला, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
6. श्रीमती उषा देवी, पत्नी स्व. इंदरचंद बाफना, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गंज लाइन, माजर के सामने, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
7. सोनू वल्द स्व. इंदरचंद बाफना, उम्र लगभग 10 वर्ष, उनकी प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती उषा देवी के माध्यम से, निवासी गंज लाइन, माजर के सामने, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ .

.....उत्तरवादीगण

अपीलार्थी की ओर से: श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता
उत्तरवादी की ओर से (संख्या 1, 2 एवं 4 से 6 तक):

श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता



माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुरी
एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. चंद्रवंशी

आरक्षित निर्णय

माननीय गौतम भादुरी, न्यायाधीश

1. यह अपील अपर जिला न्यायाधीश (FTC) राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

द्वारा सिविल वाद क्र. 10-A/2010 में दिनांक 28/07/2018 को पारित निर्णय एवं डिक्री के

विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया था।

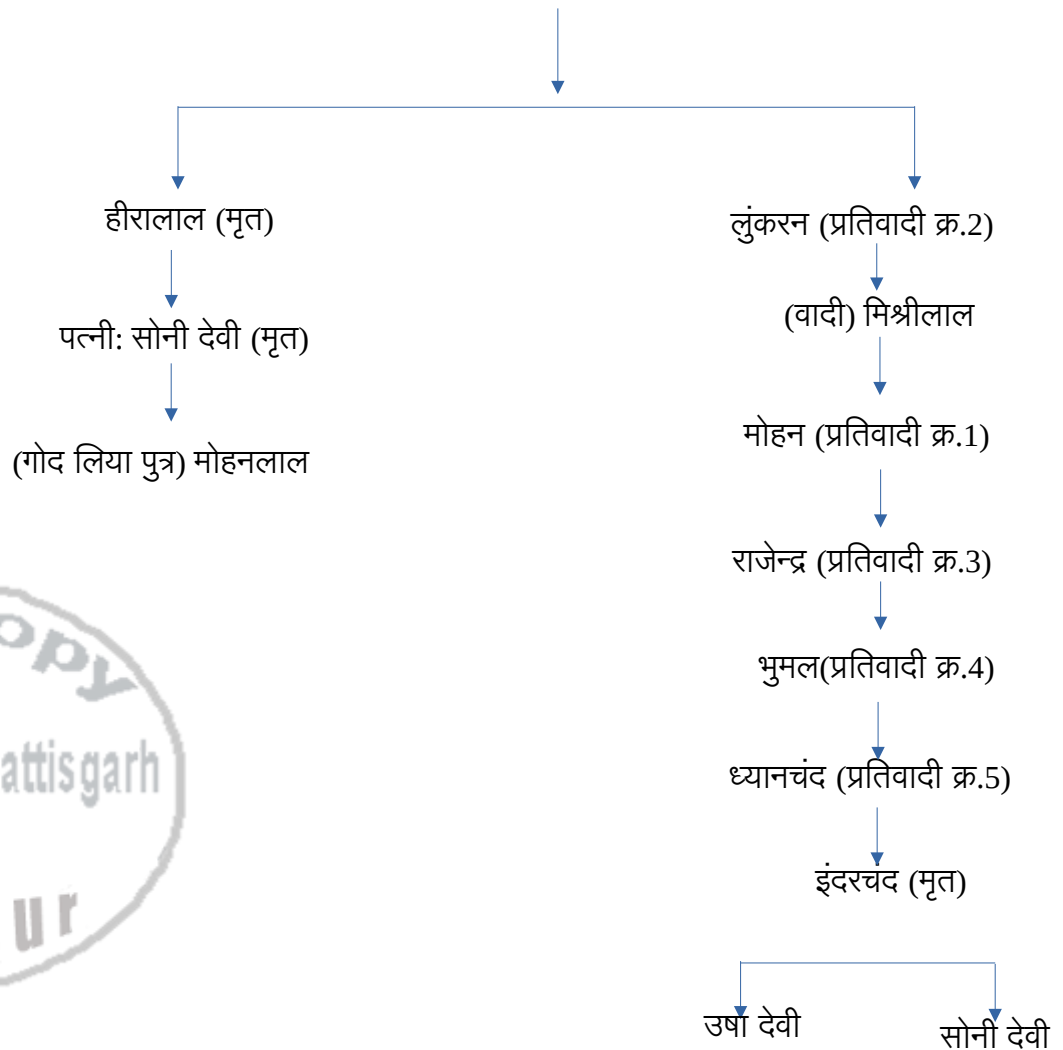
2. स्वीकृत तथ्य निम्नलिखित हैं:-

वादी और प्रतिवादी आपस में रिश्तेदार हैं। प्रतिवादी क्र.2 लुंकरन (मृत), अमोलक चंद बाफना के पुत्र थे और वादी के पिता थे, जबकि मोहनलाल (प्रतिवादी क्र.1), राजेंद्र (प्रतिवादी क्र.3), भूरमल (प्रतिवादी क्र.4), ध्यानचंद (प्रतिवादी क्र.5) लुंकरन के पुत्र हैं, जबकि सुशमा देवी (प्रतिवादी क्र.6) लुंकरन बाफना के दूसरे पुत्र की पुत्रवधू हैं तथा सोनू (प्रतिवादी क्र.7) इंदरचंद का पुत्र है। जिनकी वंशावली निम्नानुसार है:-



-3-

अमोलकचंद बाफना



- वादी ने इस आशय का दावा प्रस्तुत किया कि वह वाद संपत्ति का सह-स्वामी है, जिसकी कीमत ₹29 लाख है, और दिनांक 26/08/2007 को सिविल प्रकरण क्रमांक 8-A/2007 में मोहनलाल और लुंकरनके बीच लोक अदालत में हुई डिक्री, वादी पर बाध्यकारी नहीं है और यह भाइयों के अधिकार और वादी को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई;
- वादी ने यह भी दावा किया कि उसके दादा अमोलक चंद बाफना जोधपुर (राजस्थान) से आए थे और उन्होंने गटापरकला में "अमोलक चंद



हीरालाल" के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया था। वर्ष 1971 में, स्वर्गीय अमोलक चंद ने पारिवारिक व्यवसाय की संयुक्त आय से अपने दोनों पुत्रों हीरालाल और लुंकरनके नाम से वाद संपत्ति खरीदी थी। हीरालाल की कोई संतान नहीं थी, जबकि लुंकरनके पाँच पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र इंदरचंद बाफना का निधन हो चुका है और उसकी पत्नी और पुत्र दावे में पक्षकार बनाए गए हैं।

- चूंकि हीरालाल बाफना का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह अपने भाई लुंकरनके पुत्र मोहनलाल (प्रतिवादी संख्या 1) को अपने साथ रखता था। वादी ने यह भी कहा है कि वर्ष 1989 में उसने मुदियामोहारा में रहकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया एवं विवादित संपत्ति वर्ष 2006 में हीरालाल बाफना और लुंकरनके बीच विभाजन के लिए सुझाया गया था, जिसका उस समय मूल्य ₹29 लाख आँका गया था।
- वादी ने यह दावा किया कि यह सहमति बनी थी कि घर हीरालाल के पास रहेगा और इंदरचंद बाफना के ऋण के ₹1 लाख का भुगतान हीरालाल द्वारा किया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे लुंकरनके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाना था। उन्होंने कहा कि हालांकि समझौता किया गया था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- वादी ने आगे कहा कि जनवरी 2009 में उसे पता चला कि मुकदमे में विवादित घर मोहनलाल (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम दर्ज है और जब उसने जांच की तो पता चला कि लोक अदालत में मोहनलाल और उसके पिता लुंकरनके बीच एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2



(पिता) पर दबाव बनाकर एक फर्जी डिक्री प्राप्त की गई थी और इस डिक्री के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के अधिकार समाप्त कर दिए गए।

- वादी ने कहा कि विवादित संपत्ति अमोलक चंद (वादी के दादा) द्वारा खरीदी गई थी और वादी अन्य प्रतिवादियों के साथ इस संपत्ति का सह-उत्तराधिकारी (सह-भाजक) है। इन सभी तथ्यों को छिपाकर, संपत्ति का मूल्य ₹29 लाख दिखाते हुए, धोखाधड़ी से यह डिक्री प्राप्त की गई, जो वादी और अन्य प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि यह साबित होता है कि मोहनलाल को हीरालाल ने गोद लिया था, तो ऐसी स्थिति में मोहनलाल को केवल हीरालाल के हिस्से का उत्तराधिकारी माना जाएगा और अन्य प्रतिवादियों को विवादित संपत्ति में अपने आधे हिस्से का दावा करने का अधिकार होगा। इस प्रकार वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 इस संपत्ति के सह-स्वामी हैं और दितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय से 26/08/2007 को लोक अदालत में प्राप्त डिक्री बाध्यकारी नहीं है, इसके अतिरिक्त यह भी प्रार्थना की गई कि मोहनलाल को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और उसे बेदखली के लिए कदम उठाने से भी रोका जाए।
- मोहनलाल (प्रतिवादी संख्या 1) ने वादपत्र में लिखे तथ्यों से इंकार करते हुए स्वयं को हीरालाल का गोदपुत्र होना बताया है। उसके अनुसार हीरालाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दिनांक 28-06-1974 को यह घोषणा की गई कि वह/मोहनलाल, हीरालाल का गोदपुत्र है और हीरालाल की मृत्यु के बाद वह उसकी संपत्ति के हिस्से का हकदार है। वह वादग्रस्त संपत्ति के कब्जे में है और उक्त संपत्ति अमोलकचंद ने फर्म की आय से नहीं खरीदी थी, बल्कि



हीरालाल और लुंकरन ने इसे श्रीमती इच्छू बाई से 25/09/1971 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदा था।

- वर्ष 1991 में आपसी बंटवारे के परिणामस्वरूप वाद संपत्ति हीरालाल के विशेष स्वामित्व में आई और उसकी मृत्यु के बाद मोहनलाल वाद संपत्ति को उत्तराधिकार के आधार पर पूर्ण स्वामी हुआ। इन तथ्यों का वादी के पिता लुंकरन (प्रतिवादी संख्या 2) ने कभी विरोध नहीं किया और प्रकरण क्रमांक 8/2007 में वादी के पिता लुंकरन (प्रतिवादी संख्या 2) ने इन तथ्यों की पुष्टि की। मौखिक विभाजन हुआ और इसके परिणामस्वरूप एक समझौता किया गया, और इसी आधार पर लोक अदालत में एक डिक्री बनाई गई, जो लुंकरनके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों यानी वादी और प्रतिवादियों पर बाध्यकारी है। उस डिक्री के बाद लुंकरनद्वारा संपूर्ण विवादित घर का स्वामित्व प्रतिवादी नंबर 1 मोहनलाल को दे दिया गया।
- मोहनलाल (प्रतिवादी नंबर 1) ने समझौते/अनुबंध की शर्तों के अनुसार बैंक ऋण का भुगतान कर दिया है और दिनांक 10/06/2007 को 7 लाख रुपये, जबकि दिनांक 10/12/2007 को 7 लाख रुपये (कुल 14 लाख रुपये) प्रतिवादी नंबर 2 को दिए, इसलिए यह पारिवारिक समझौता सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। प्रतिवादी नंबर 3 से 7 को इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने दावा खारिज करने की प्रार्थना की है।
- लुंकरन(प्रतिवादी नंबर 2) ने अपने पुत्र मोहनलाल के पक्ष का समर्थन करते हुये कहा है कि संपत्ति लुंकरनऔर हीरालाल द्वारा अपनी व्यक्तिगत आय से खरीदी गई थी और क्योंकि हीरालाल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए



उन्होंने मोहनलाल को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया। लुंकरन, पिता ने आगे कहा कि मोहनलाल और हीरालाल के बीच संपत्ति का विभाजन किया गया था और संपूर्ण विवादित संपत्ति हीरालाल के हिस्से में चली गई। उन्होंने यह भी कहा कि हीरालाल का 31/03/2003 को और उनकी पत्नी का 13/02/2003 को निधन हो गया, इसलिए इस संपत्ति पर किसी अन्य पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं है।

- उन्होंने आगे कहा कि संपत्ति का कब्जा मोहनलाल को सौंप दिया गया था और उन्होंने ₹20,000/- की राशि प्राप्त की है। प्रतिवादी संख्या 2 ने यह भी कहा कि हीरालाल की मृत्यु के बाद, 2006 में पंचों के सामने एक समझौता किया गया था और प्रतिवादी मोहनलाल ने यह स्वीकार किया कि ₹7 लाख का बैंक ऋण और ₹14 लाख का भुगतान किया गया था। उन्होंने कहा कि यह समझौता पक्षों के लिए बाध्यकारी था और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती;
- राजेंद्र (प्रतिवादी संख्या 3), ध्यानचंद (प्रतिवादी संख्या 5) और इंदरचंद बाफना के विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती उष्मा देवी (प्रतिवादी संख्या 6) और नाबालिग सोनू (प्रतिवादी संख्या 7) ने प्रतिवादी मोहनलाल का समर्थन करते हुए हीरालाल और मोहनलाल की स्वयं की आय से विवादित संपत्ति क्रय करना और उसमें लुंकरन को कोई अधिकार न होना बताया है। भूरमल (प्रतिवादी संख्या 4) ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया है और कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है।



- विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के तर्कों के आधार पर 5 वादप्रश्न तय किए और मुख्य वादप्रश्न यह था कि क्या संपत्ति वादी और प्रतिवादियों की संयुक्त संपत्ति थी, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा नकारात्मक निर्णय देते हुये यह पाया कि व्यवहार वाद क्रमांक 8 ए/2007 में 26/08/2007 को डिक्री प्राप्त करने के संबंध में वादी यह साबित करने में असफल रहा कि डिक्री धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त की गई थी, और अंततः मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी/वादी द्वारा यह अपील दायर की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि:-

- वाद संपत्ति अमोलक चंद द्वारा फर्म की कमाई से वर्ष 1971 में खरीदी गई थी, जिसका उल्लेख प्रदर्श पी/3 में किया गया है। कथित इकरारनामा (प्रदर्श डी/28) का संदर्भ देते हुए, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि यह हीरालाल और लुंकरन की अनन्य संपत्ति नहीं थी।
- वाद मूल्यांकन 29 लाख रुपये किया गया था और 1 लाख रुपये का ऋण चुकाया जाना था, जिसका अर्थ है कि 28 लाख रुपये हीरालाल और लुंकरन के बीच विभाजन के लिए थे, लेकिन इस प्रकार की सहमति/व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका। इसके अलावा, बचाव पक्ष के अनुसार, यदि वर्ष 1991 में पारस्परिक विभाजन किया गया था और संपत्ति हीरालाल के हिस्से में आ गई थी, तो फिर स्वामित्व का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता क्या थी;
- यदि मोहनलाल दत्तक पुत्र था, तो इस मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं थी। 28/06/1974 को दत्तक ग्रहण विलेख पर आपत्ति करते हुए, उन्होंने तर्क



प्रस्तुत किया कि उस दिन मोहनलाल की आयु लगभग 18-19 वर्ष थी। मोहनलाल (डीडब्ल्यू-2) के बयान के पैरा 56 का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क किया है कि उस बयान में यह स्वीकार किया गया था कि पंजीकरण तिथि में उसकी आयु 18-19 वर्ष थी। हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 का संदर्भ देते हुए तर्क किया गया कि एक वैध गोद लेने के लिए, दत्तक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई प्रथा इसकी अनुमति न देती हो।

- इस मामले में, प्रतिवादी द्वारा कोई प्रथा प्रस्तुत या प्रमाणित नहीं की गई है। इसलिए, केवल अधिनियम, 1956 की धारा 16 के तहत पंजीकरण मात्र से गोद लेना स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक कि इसे साबित नहीं किया जाता है, इसलिए मात्र इस पंजीयन से यह दोष दूर नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने न्यादृष्टांत M. Vanaja बनाम M. Sarla Devi (Dead) (2020) 5 SCC 307 का आधार लेते हुए तर्क किया है कि जब तक किसी पुरुष हिंदू द्वारा बच्चे को गोद लेने से पहले उसकी पत्नी की सहमति और गोद लेने की वास्तविक प्रक्रिया का प्रमाण नहीं दिया जाता, तब तक इसे वैध नहीं माना जा सकता।
- दस्तावेज़ Ex. D/28, जो कि वर्ष 2006 का है, के अनुसार संपत्ति का विभाजन किया गया, जिसकी कीमत स्पष्ट रूप से 100 रुपये से अधिक है और यदि यह पंजीकृत नहीं था, तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत यह अमान्य होगा। इसके अलावा, दस्तावेज़ Ex. D/28 में यह उल्लेख नहीं किया गया कि संपत्ति का आपसी विभाजन हुआ था।



- यदि संपत्ति हीरालाल और लुंकरन की थी और विभाजन वर्ष 1991 में हुआ था, तो इस दस्तावेज़ पर मिश्रीलाल के हस्ताक्षर क्यों लिए गए? यह केवल यह दर्शाता है कि हीरालाल और लुंकरन के मध्य कभी कोई विभाजन नहीं हुआ था। मूल दस्तावेज़ Ex. D/28 कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी, क्योंकि DW-2 के बयान के अनुसार, उन्होंने मूल दस्तावेज़ वापस प्राप्त कर लिया था, इसलिये D/28 को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया।

- इसके अलावा, वादी ने न्यायदृष्टांत J. Yashoda बनाम K. Shobha Rani {(2007) 5 SCC 730} का आधार लेते हुए तर्क किया है कि जब मूल दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया हो, तो मात्र प्रदर्श अंकित करने से वह स्वीकार्य नहीं होगा। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया और गलत निष्कर्ष दिया।

4. प्रतिपक्षी/प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने निम्न तर्क प्रस्तुत किया है कि:

- वादी के अनुसार, विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, लेकिन यह दावा किया गया कि हीरालाल और लुंकरन की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, न कि अमोलक चंद की।
- उत्तरवादी/प्रतिवादी ने Ex. P-3, जो Ex. D/5 (बिक्री विलेख) के समकक्ष है, का आधार लेते हुये यह तर्क किया है कि विवादित संपत्ति हीरालाल और लुंकरन द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई थी, जिनपर उनका अनन्य अधिकार था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक के खसरा पंचशाला Ex.



P/9 एवं अन्य संपत्तियों के अतिरिक्त गृह संपत्ति संबंधी दस्तावेज Ex. P/10 से यह स्पष्ट होता है कि हीरालाल और लुंकरन के नाम नामांतरण आदेश किया गया था ।

- Ex. D/15, D/16, D/17 संधारण खसरा के अनुसार भी विवादग्रस्त संपत्ति हीरालाल व लुंकरन के नाम दर्ज है ।
- वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वाद संपदा लुंकरन और हीरालाल द्वारा क्रय की गई थी, किंतु वह अमोलकचंद द्वारा भी क्रय करना बताता है । उक्त संबंध में उन्होंने PW-1 के पैरा नंबर 33 का आधार लेते हुए तर्क किया है कि वादी का संपत्ति पर कब्जा नहीं है और वादी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि लुंकरन के जीवनकाल में उसके पुत्र को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है ।
- वादी के अनुसार यदि संपत्ति उसके दादा अमोलकचंद द्वारा अर्जित की गई थी तो उसने अमोलकचंद की पुत्री को बतौर पक्षकार वादी के रूप में क्यों नहीं बनाया और न ही बिदमबाई को वाद में पक्षकार बनाया है । गोदनामा के संबंध में लुंकरन के कथनों के प्रश्न क्रमांक-48 का आधार लेते हुए तर्क किया गया है कि उसके पिता ने यह कहा है कि हीरालाल ने मोहनलाल को गोद लिया था और खेमचंद जैन DW-3 ने कथन किया है कि उसने दिनांक 28.06.1976 को हीरालाल, सोनीबाई, लुंकरन और गंगाबाई के निर्देश पर विलेखनामा निष्पादित किया था ।
- गोदनामा के संदर्भ में तर्क किया गया है कि जब मोहनलाल 8 वर्ष का था, तब उसे रीति-रिवाज के अनुसार गोद लिया गया था, जिसे विवादित नहीं किया



जा सकता। अधिनियम 1956 की धारा 15 का उल्लेख करते हुए तर्क किया गया है कि वैध रूप से की गई गोद कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार कोई भी गोद लिया हुआ व्यक्ति जिसे वैध रूप से गोद लिया गया हो, उसे गोद लेने वाले पिता या माता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य हुए पारिवारिक समझौता एवं Ex. D/1 और D/2 के तहत 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, ताकि दिवंगत इंदरचंद बाफना के ऋण को चुकता किया जा सके, और 14 लाख रुपये का भुगतान मूल्यांकन के अनुसार किया गया, इसलिए, मौखिक समझौता पक्षों के बीच हुआ था;

- परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 57 के अनुसार गोद लेने को चुनौती देने के लिए सीमा 3 वर्ष है, इसलिए इसके बाद दायर किया गया मुकदमा सीमा कानून द्वारा निषिद्ध होगा। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि वादी ने पारिवारिक समझौते के अनुसार गोद लेने के तथ्य को स्वीकार किया है, इसलिए वादी अब यह नहीं कह सकते कि कोई गोद कार्यवाही नहीं हुई थी। तत्संबंध में उन्होंने न्यायदृष्टांत (2002 (3) SCC 634) का आधार लिया है।

5. हमने उभयपक्ष की दलीलों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. वादी के कथनों के अनुसार, संपत्ति अमोलक चंद के जीवनकाल में खरीदी गई थी। इसके विपरीत, बिक्री विलेख (दस्तावेज संख्या P/3) में दर्शाया गया है कि खरीदार हीरालाल और लुंकरन हैं, जो दोनों अमोलक चंद के पुत्र हैं और उन्होंने यह संपत्ति श्रीमती इटचुरु बाई से स्वयं अपने नाम से खरीदी थी, जो प्रदर्श P/3 और P/5 हैं। नज़ूल/संधारण खसरा (प्रदर्श P/9 और



P/10) के अनुसार संपत्ति हीरालाल और लुंकरन के नाम पर दर्ज है। इसके अतिरिक्त, संधारण खसरा ExD/15, ExD/16 और ExD/17 के अनुसार संपत्ति केवल हीरालाल और लुंकरन के नाम पर दर्ज है और अमोलक चंद का नाम उसमें शामिल नहीं है।

7. वादी मिश्रीलाल (PW-1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 में स्वीकार किया कि विवादित संपत्ति लुंकरन और हीरालाल ने खरीदी थी। फिर वह उक्त संपत्ति अमोलक चंद द्वारा भी क्रय करना बताता है। वाद दायर किए जाने के समय वादी के पिता लुंकरन, जिनके नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी, जीवित थे। अतः यदि बिक्री विलेख और प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में यह संपत्ति हीरालाल और लुंकरन के नाम पर दर्ज थी, तो इसके प्रतिकूल उल्लेख करने का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त मिश्रीलाल (PW-1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 33 में यह भी स्वीकार किया कि वह विवादित घर (गांजापारा) में नहीं रहते हैं। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि लुंकरन के जीवनकाल में उसने संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया था। अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो कि विवादित संपत्ति अमोलक चंद द्वारा फर्म की आय से खरीदी गई थी और न ही इस तथ्य का समर्थन करने के लिए कोई लेखा विवरण प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई अन्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, सिवाय मौखिक बयान के। इसलिए यह मानना उचित होगा कि विवादित संपत्ति हीरालाल और लुंकरन द्वारा अपनी आय से संयुक्त रूप से खरीदी गई थी और इसीलिए परिणामस्वरूप, वाद संपत्ति को वादी की पैतृक संपत्ति नहीं कहा जा सकता।



8. एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या मोहनलाल (प्रतिवादी नंबर 1) हीरालाल बाफना का दत्तक पुत्र था। वादी द्वारा प्रस्तुत वंशवृक्ष में पहले मोहनलाल को लुंकरन का पुत्र बताया गया है और बाद में उसे हीरालाल का दत्तक पुत्र बताया गया है। वादपत्र के अनुसार अमोलक चंद के दो पुत्र हीरालाल और लुंकरन थे और हीरालाल का कोई पुत्र नहीं था, जबकि लुंकरन के पाँच पुत्र थे, जिनमें से इंदरचंद की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि हीरालाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने मोहनलाल (प्रतिवादी नंबर 1) को अपने पुत्र के रूप में रखा। वादपत्र के पैराग्राफ 10 में यह विरोधाभासी कथन किया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि मोहनलाल हीरालाल का दत्तक पुत्र है, तो विवादित संपत्ति को मोहनलाल और लुंकरन के मध्य आधे-आधे में विभाजित किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि विवादित संपत्ति का आधा हिस्सा मोहनलाल (प्रतिवादी नंबर 1) को और आधा हिस्सा लुंकरन को मिलेगा।

9. वादी मिश्रिलाल लुंकरन का पुत्र है। वादी ने अपने बयान के पैरा 38 में यह स्वीकार किया है कि लुंकरन जीवित हैं और इसलिए उनके जीवनकाल में बच्चों को वाद संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा अर्थात् इस प्रकार वादी इस बात से परिचित था कि वाद दायर करने के समय वादी को क्या अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा, मोहनलाल (प्रतिवादी संख्या 1) ने कथन किया है कि उसे हीरालाल ने गोद लिया था। वादी के कथन से यह दिखाई देता है कि चूंकि हीरालाल के कोई संतान नहीं थी, इसलिए मोहनलाल को उनके पास एक पुत्र के रूप में रखा गया था। मिश्रिलाल (PW-1) ने पैरा 31 में यह भी स्वीकार किया कि वह यह नहीं जानते थे कि हीरालाल ने मोहनलाल को



गोद लिया था और इसके साथ ही यह भी उनकी किसी भी गोदनामा के बारे में अज्ञानता को दर्शाता है। परिवार के सदस्यों के बयान से यह कहना कठिन है कि परिवार के सदस्य को परिवार में गोद लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इसलिए प्रथमदृष्टया वादी का यह कथन यह दर्शाता है कि वह अपने चाचा हीरालाल द्वारा मोहनलाल को गोद लेने के बारे में जानते थे। यह भी विश्वास करना कठिन होगा कि एक भाई को परिवार में गोद लेने के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए वादी द्वारा की गई यह घोषणा कि उनके एक भाई मोहनलाल को उनके चाचा ने रखा था, यह दर्शाती है कि वादी को यह जानकारी थी कि मोहनलाल को उनके चाचा ने गोद लिया था।

10. इसके बाद मोहनलाल के पिता अर्थात् लुंकरन, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में रखा गया था, से एक विशिष्ट प्रश्न संख्या 48 पूछने पर कि उनके कितने बेटे हैं, तो उनका कहना कि उनके छह बेटे हैं। दो बेटे थे और एक की मृत्यु हो गई, और एक बेटे मोहनलाल को हीरालाल द्वारा गोद लिया गया। खेमचंद जैन (DW-3), जिन्होंने गोद लेने का दस्तावेज तैयार किया, ने बताया कि उन्होंने हीरालाल, सोनिबाई, लुंकरन और गंगाबाई के निर्देश पर दस्तावेज तैयार किया, जिसे Ex. D/10 के रूप में चिह्नित किया गया है। गोदनामा (Ex. D/10) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चूंकि हीरालाल और सोनीबाई के कोई संतान नहीं थे, इसलिए इसलिए उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मोहनलाल को 26/01/1963 को गोद लिया। उक्त दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि हीरालाल और सोनिबाई ने लुंकरन और उसकी पत्नी गंगाबाई से अपने बेटे को गोद लेने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और बेटे को अपनी गोदी में लिया। दस्तावेज यह भी



बताता है कि गोद लेने की प्रक्रिया श्वेतांबर जैन रिवाज और रीति-रिवाजों के अनुसार हुई, जब मोहनलाल की उम्र 8 वर्ष थी, और उसके बाद उसे उनकी देखभाल में रखा गया और पाला गया। स्कूल रजिस्टर में भी यह उल्लेख किया गया कि पिता का नाम हीरालाल था।

11. गोदनामा दस्तावेज़ पंजीकृत दस्तावेज़ है। हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार और धारा (iv) के अनुसार किसी व्यक्ति को पंद्रह वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व गोद नहीं लिया जा सकता, जब तक कि संबंधित पक्षों के लिए कोई रीति या प्रथा न हो, जो 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती हो।

12. अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि गोद लेने के दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय मोहनलाल की आयु 18-19 वर्ष थी। हालांकि, अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार मोहनलाल को 8 वर्ष की उम्र में गोद लेना स्पष्ट हुआ है। अपीलार्थी लुंकरन के पिता और उस लड़के के पिता जिसे गोद लिया गया था, ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी कि उन्होंने अपने पुत्र मोहनलाल को हीरालाल को गोद दिया था। खेमचंद जैन (गवाह-3), जिन्होंने गोदनामा तैयार किया था, इस तथ्य की पुष्टि की है कि पहले ही गोद लेना किया जा चुका था जिसे बाद में गोदनामा के रूप में पंजीकृत किया गया था।

13. गोद लेने के विलेख/गोदनामा की जांच करने पर पता चलता है कि इसमें बच्चा गोद में देने वाले हीरालाल और उनकी पत्नी सोनी बाई के हस्ताक्षर के अतिरिक्त लुंकरन और उनकी पत्नी गंगा बाई के भी हस्ताक्षर हैं। लुंकरन ने यह कहा है कि उनके भाई हीरालाल का निधन 31/03/2003



को एवं उसकी पत्नी का निधन 13/02/2003 को हुआ था। अधिनियम 1956 की धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि कोई भी हिंदू पुरुष, यदि वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में है और नाबालिग नहीं है, तो उसे गोद लेने का अधिकार है और यदि उसकी पत्नी जीवित है, तो वह केवल उसकी सहमति से ही गोद ले सकता है। अधिनियम 1956 की धारा 11(ज) यह स्पष्ट करती है कि यदि गोद लिया गया बच्चा पुत्र है, तो वह दत्तक पिता या माता, जिन्होंने गोद लिया है, के जीवित हिंदू पुत्र नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है, उसे उसके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा वास्तव में गोद दिया जाना चाहिए और इसके पीछे परिवार से अलग करने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और दत्ता होमम (गोद लेने की धार्मिक क्रिया) का संपादन गोद लेने की वैधता के लिए आवश्यक नहीं है।

14. गोद लेने के विलेख का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि गोद लेने वाले पति-पत्नी, अर्थात् हीरालाल और सोनी बाई, तथा जिन लोगों ने अपने बच्चे को गोद लेने दिया था, अर्थात् लुंकरन और गंगा बाई, ने इस गोद लेने की अनुमति दी थी। इसमें यह उल्लेख है कि जब बच्चा 8 वर्ष का था, तब गोद देने एवं गोद लेने की क्रिया का वास्तविक प्रदर्शन किया गया था। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का आधार है, जो कि *M. Vanaja Vs. M. Sarla Devi (Dead)* (2020) 5 SCC 307 मामले में दिया गया था, जिसमें गोद लेने वाली मां ने कहा था कि उसने कभी गोद नहीं लिया और इसके अलावा यह तथ्य कि गोद लेने की क्रिया का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि इस वर्तमान मामले में, Ex. D/10



गोदनामा यह दिखाता है कि असल माता-पिता ने इस गोद लेने को मंजूरी दी थी।

15. जब Ex. D/10, जिसमें गोद संबंधी क्रिया के प्रदर्शन का उल्लेख है, को वादपत्र, जिसमें वादी ने यह कहा है कि मोहनलाल (प्रतिवादी संख्या 1) को इस सबूत के साथ रखा गया था कि हीरालाल के पास बच्चा नहीं था और अनुच्छेद 35 में यह सुझाव दिया गया था कि वह यह स्वीकार करता है कि हीरालाल के गोद लिए गए पुत्र का नाम मोहनलाल रखने से यह साबित होगा कि वैध गोद लेना किया गया था, और इस न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं है कि वह गोद लेने वाले माता-पिता और उन माता-पिता के प्रमाणों के आधार पर यह तय करें कि कोई गोद लेना किया गया था या नहीं।

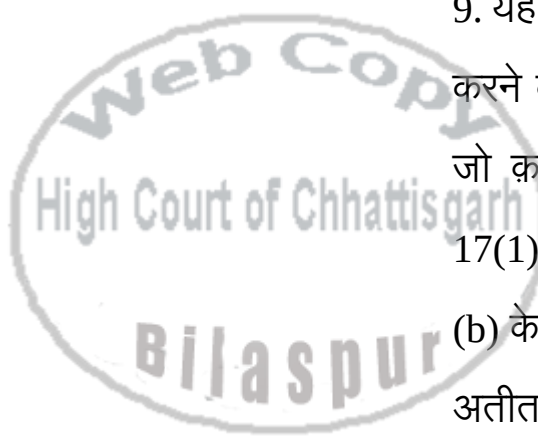
16. अधिनियम 1956 की धारा 15 एक शर्त भी लगाती है कि कोई भी गोद लिया गया बच्चा जिसे वैध रूप से गोद लिया गया हो, उसे गोद लेने वाले पिता या मां या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, और न ही बच्चा अपने जन्म के परिवार में वापस जाने के लिए अपनी स्थिति को त्याग सकता है। इसी तरह, इस न्यायालय ने मौजूदा प्रमाणों का मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि मोहनलाल का हीरालाल द्वारा गोद लेना वैध रूप से किया गया था और इसे सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता।

17. अपीलकर्ता का एक और तर्क यह है कि लुंकरन और हीरालाल, जो कि पिता और चाचा हैं, के मध्य की गई व्यवस्था को जो Ex. D/28 के रूप में चिह्नित किया गया है, प्रमाण में स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि यह पूर्व लेन-देन को दर्ज नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी लिखित



दस्तावेज जो कहता है कि अतीत में विभाजन हुआ था, वह एक वसीयतनामा नहीं बल्कि एक साधारण तथ्यात्मक बयान है, और इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने *रोशन सिंह और अन्य बनाम जीले सिंह और अन्य* मामले में (जो कि (2018) 14 SCC 814 निराकृत 24.02.1988) यह Observation दिया गया कि पूर्व लेन-देन के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और पैराग्राफ 9 और 10 में यह निर्णय लिया था कि:

9. यह स्थापित नियम है कि कोई भी विभाजन विलेख जो उसे घोषित करने के उद्देश्य से कार्य करता है या कार्य करने का इरादा रखता है, जो कानूनी अधिकार को संपत्ति में विभाजित करता है, उसे धारा 17(1)(b) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है। धारा 17(1)(b) के तहत, एक लिखित दस्तावेज जो केवल यह वर्णन करता है कि अतीत में विभाजन हुआ था, वह वसीयतनामा नहीं है, बल्कि एक साधारण तथ्यात्मक बयान है, और इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मामले का सार यह है कि क्या विलेख विभाजन लेन-देन का हिस्सा है या इसमें पहले किए गए लेन-देन का एक गौण विवरण है। अतीत काल का उपयोग यह जरूरी नहीं बनाता कि यह केवल अतीत की लेन-देन का विवरण हो। यह समान रूप से स्थापित है कि एक साधारण बयान जो यह बताता है कि एक विभाजन किया गया है, विभाजन के दस्तावेज का हिस्सा नहीं होता और इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। धारा 17(1)(b) यह कहती है कि ऐसा दस्तावेज जिसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है, वह अपने आप में, स्थिर संपत्ति





में कोई अधिकार बनाने या घोषित करने के लिए कार्य करेगा या दावा करेगा। इसलिए, पहले जो हो चुका है, उसका केवल विवरण देने वाला दस्तावेज़ कोई अधिकार घोषित नहीं कर सकता और ऐसे दस्तावेज़ के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए दो प्रस्तावों को ध्यान में रखना चाहिए:

(1) एक विभाजन मौखिक रूप से किया जा सकता है; लेकिन यदि इसे बाद में दस्तावेज़ के रूप में रूपांतरित किया जाता है और वह दस्तावेज़ स्वयं विभाजन को प्रभावी करने का दावा करता है और सभी शर्तों को शामिल करता है, तो इसे पंजीकरण के लिए जरूरी होगा। यदि यह पंजीकरण नहीं होता है, तो स्टाम्प अधिनियम की धारा 49 उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से निषेधित कर देगी।

(2) विभाजन सूची, जो केवल पक्षकारों के मध्य पहले किए गए विभाजन का रिकॉर्ड है, प्रमाण में स्वीकार्य नहीं होगी, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 91 के तहत आवश्यक है। पूर्व में किए गए विभाजन को, भले ही वे पंजीकृत नहीं हों, प्रमाण में स्वीकार किया जाएगा, ताकि विभाजन का तथ्य साबित किया जा सके: देखें *Mulla's Registration Act, 8 वीं संस्करण, पृष्ठ 54-57*।

10. यह निर्धारित करने के लिए कि कोई दस्तावेज़ विभाजन विलेख है या केवल संपत्तियों की सूची है, के संबंध में प्रिवी काउंसिल, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। इस सवाल का समाधान विवियन बोस, जे. ने *नारायण सखराम पटेल बनाम सहकारी केंद्रीय बैंक* मामले में किया था। स्वयं के लिए बोलते



हुए और पुराणिक, जे. ने न्यायाधीश ने प्रिवी काउंसिल के निर्णयों पर विचार किया था, जैसे *बगेश्वर चरण सिंह बनाम जगनाथ कुवारी* (1931-32 59 IA 130) और *सुबरामणियन बनाम लचमण* (1922-23 50 IA 77) और निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया (नारायण सखराम केस, SCC OnLine MP पैराग्राफ 10):

604. स्वयं के लिए बोलते हुए और सर गिल्बर्ट स्टोन, C.J. ने न्यायाधीश ने प्रिवी काउंसिल के निर्णयों पर विचार किया था, जैसे *बगेश्वर चरण सिंह बनाम जगनाथ कुवारी* (1932 59 IA 130) और *सुबरामणियन बनाम लचमण* LR (1923) 15 IA 77 और निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया:

"यह एक साथ स्वीकार किया जा सकता है कि संपत्तियों की अन्य सूची विभाजन विलेख नहीं बनती और इसलिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमें यह निर्धारित करना है कि ये दस्तावेज़ केवल संपत्तियों की सूची हैं या क्या ये दस्तावेज़ 'सृजन, हस्तांतरित, असाइन' जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए संपत्ति में कोई अधिकार, शीर्षक या रुचि बनाने का दावा करते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से रु. 1000 से अधिक मूल्य की है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि इन दस्तावेज़ों में अतीत के घटनाओं का केवल विवरण हो, या क्या वे कानूनी संबंध में आवश्यक परिवर्तन को व्यक्त करते हुए विभाजन की आवश्यकता को दर्शाते हैं।" गणपत गंगाजी पटेल बनाम नामदेव भगवांजी पटेल और अन्य, आई.एल.आर (1942) नाग 73 में पुनः वही



सिद्धांत दोहराया गया है। इसके अलावा देखें *Mulla's Registration Act* के पृष्ठ 56-57 पर अन्य मामले।

18. उपर्युक्त सिद्धांतों पर कोई विवाद नहीं है। Ex. D/28 जिसमें लुंकरन और हीरालाल के बीच संपत्ति का विभाजन दर्ज किया गया है, दिनांक 10/12/2006 को निष्पादित किया गया था। हमारे विचार में, इस समय पर उक्त मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में खामी प्रतीत होती है। जब मुकदमा दायर किया गया था, तब वादी के पिता लुंकरन, जीवित थे, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया। यदि वादी ने संपत्ति को पैतृक संपत्ति होने का दावा किया है तो उसकी बहनें पक्षकार नहीं बनाई गईं, जो मिश्रीलाल (PW-1) के बयान के पैरा 34 से स्पष्ट होता है, जिसमें बिमला बाई, मोहनी बाई और मैना बाई के नाम बहनें के रूप में स्वीकार किए गए हैं। पैरा 33 में, वादी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसका वाद संपत्ति पर कब्जा नहीं है।

19. वादी द्वारा व्यवहारवाद केवल घोषणा प्राप्त करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें से पहली घोषणा यह थी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 संपत्ति के सह-स्वामी हैं; दूसरी घोषणा यह थी कि मोहनलाल एवं लुंकरन के मध्य व्यवहार वाद क्रमांक 8A/2007 के संबंध में लोक अदालत में दी गई डिक्री दिनांक 26/08/2007 कपटपूर्वक प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा चाही गई है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादी और प्रतिवादी क्रमांक 3 से 7 के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

20. इस अपील के लंबित रहने के दौरान लुंकरन की मृत्यु हुई। वादी ने खुद को सह-स्वामी के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष नहीं मांगा है। इसलिए, यह देखा जाना



है कि क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय है, जबकि वादी ने मात्र एक साधारण घोषणा की मांग की है, हालांकि वह अन्य अनुतोष की याचना करने की स्थिति में था? उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वादी को वाद संपत्ति के कब्जे में न होना पाया गया है। जैसा कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, जब वादी मुकदमे की संपत्ति से बाहर होता है और वह अपनी संपत्ति का अधिकार घोषित करने की मांग करता है, तो मात्र घोषणा बिना कब्जे के अनुतोष के प्रभावी नहीं होगी। यह सिद्धांत राम सरन बनाम गंगा देवी (AIR 1972 SC 2685) में रखा गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकारी अधिकारी, अरुलिमुगु चोक्कनाथ स्वामी कोष ट्रस्ट, विरुधुनगर बनाम चंद्रन और अन्य (2017 3 SCC 702) में यह निर्णय लिया कि जब वादी कब्जे में नहीं होता और केवल घोषणात्मक राहत की मांग करता है, तो वाद स्वीकार्य नहीं होगा।

21. सर्वोच्च न्यायालय ने वेंकटराजा और अन्य बनाम विद्या दौरेड्डिपेरुमल (मृत) उनके लार्स और अन्य मामले में जो कि (2014) 14 SCC 502 में रिपोर्ट किया गया है, यह सिद्धांत फिर से स्पष्ट किया है, जैसा कि मुनी लाल बनाम ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1996) 1 SCC 90 और शकुंतला देवी बनाम कंबला (2005) 5 SCC 390 में भी यह तय किया गया था और पं. 24, 25 और 26 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

"24. सामान्यतः अधिकांश मामलों में मात्र घोषणात्मक डिक्री निष्पादन योग्य नहीं होती है। हालांकि किसी भी पक्ष को न चाहे गये अनुतोष को संशोधन के माध्यम से वादपत्र में समाहित करने पर कोई निषेध नहीं है।" हालांकि, यह प्रतिवादियों की जिम्मेदारी है कि वे इस मुद्दे को यथाशीघ्र उठाएं। (देखें पार्कश चंद्र खुड्डा बनाम हरनाम सिंह



(1973) 2 SCC 484 और राज्य बनाम एम.पी. व. मंगालिया शर्मा [(1998) 2 SCC 510])

25. मुनी लाल बनाम ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(1996) 1 SCC 90] में इस न्यायालय ने घोषणात्मक आदेश के साथ यह निर्णय लिया और यह कहा: (SCC पृष्ठ 93, पैराग्राफ 4)

"4. ... बिना आनुषंगिक अनुतोष के की गई मात्र घोषणा बिना दावे में आवश्यक राहत नहीं प्रदान करती; इसलिए वादी को दोनों अनुतोषों की मांग करनी चाहिए। इसके अभाव में न्यायालय घोषणात्मक अनुतोष को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है।"

26. शकुंतला देवी बनाम कमला [(2005) 5 SCC 390] में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा: (SCC पृष्ठ 399, पैराग्राफ 21)

"21. ... एक घोषणात्मक डिक्री अंतिम नहीं मानी जाएगी, यदि इसका उपयोग भविष्य में कोई अन्य आदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कब्जा। ऐसे मामलों में, यदि कब्जे के लिए, पूर्व में दी गई घोषणात्मक डिक्री के आधार पर मामला प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी के पास यह विकल्प उपलब्ध है कि जिस घोषणात्मक डिक्री पर मामला आधारित है, वह एक विधि अनुरूप डिक्री नहीं है।"

22. इसी तरह, कार्यकारी अधिकारी, अरुलिमुगु चोक्कनाथ स्वामी कोष ट्रस्ट, विरुधुनगर (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राम सरन बनाम गंगा देवी के



मामले में विचार करते हुए 1973) 2 SCC 60 में दिए गए निर्णय पर आधारित किया है और पैराग्राफ 34 में इसे इस प्रकार व्यक्त किया:

"34. वर्तमान मामले में, वादी ने कब्जा न होने का दावा किया और केवल घोषणात्मक अनुतोष की मांग की, इसलिए मुकदमा स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं था और सही तरीके से निचली अदालत द्वारा खारिज किया गया है। इस संदर्भ में रामसरन बनाम गंगा देवी के इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है, (1973) 2 SCC 60), जिसमें पैराग्राफ 1 और 4 में निम्नलिखित कहा गया था: (SCC पृष्ठ 60-61)

"1. यह वादियों द्वारा विशेष अनुमति अपील है। रामसरन और रघुबीर सरन, वादी भाई हैं। वे jointly चांबिली कुवेर, ललिता प्रसाद की विधवा, के साथ मुकदमे की संपत्ति के सह-स्वामी थे। चांबिली कुवेर के 8-2-1971 को निधन के बाद, गंगा देवी, जो इस मुकदमे में प्रतिवादी हैं, चांबिली कुवेर के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आगे आईं और उनके नाम पर मृत चांबिली कुवेर के स्थान पर नामांतरित करवा लिया। 1958 में, वादियों ने यह दावा करते हुए वाद प्रस्तुत किया कि वे वाद संपत्तियों के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने न तो समग्र संपत्ति का कब्जा लिया और न ही वाद संपत्ति के किसी हिस्से का कब्जा लिया।

4. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 42 से बाधित है। जैसा कि तथ्य-निर्णय न्यायालयों द्वारा पाया गया, गंगा देवी मुकदमे की संपत्तियों में से किसी



एक पर भी कब्जे में हैं। वादियों ने वाद संपत्तियों के कब्जे की मांग नहीं की।" इसलिए, मुकदमा स्वीकार्य नहीं है।

23. उपर्युक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, स्वयं वाद में, जिन अनुतोषों की मांग की गई थी और वाद दाखिल किया गया था, वह सही नहीं था। इसलिए, वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है।

24. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

25. उपरोक्तानुसार डिक्री तैयार की जावे ।

सही /-

(गौतम भदुरी)
न्यायाधीश

सही /-

(एन० के० चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।